राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

Phone No. 0771-2443596 Fax-2443496)

Website:www.scert.cg.gov.in Email:scertcg@gmail.com

निविदा आवेदन-पत्र

क्र./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एड.कांउसलिंग/2017–18/4088 रायपुर, दिनांक 09.08.2017

"दिनांक 31.08.2017 से 07.09.2017 तक किराये से टेंट लगाने एवं अन्य सामग्री लेने हेतु"

शिक्षा सत्र 2017–18

कार्यालय से

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 26.08.2017 अपराह्न 02:00 बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 26.08.2017 अपराह्न 03:00 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये – 1000 (एक हजार रुपये मात्र)

स्थान – राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का सभाकक्ष क्रमांक 101

कुल पृष्ठ संख्या : 18

Joint Director, (Fin.)
S.C.E R.T., RAIPUR.

// निविदा आवेदन पत्र //

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

"दिनांक 31.08.2017 से 07.09.2017 तक किराये से टेंट लगाने एवं अन्य सामग्री लेने हेतु"

क्र./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एड.कांउसलिंग/2017–18/4088 रायपुर, दिनांक 09.08.2017

1. टेंट, लगाने एवं अन्य सामग्री जिसका विवरण इस निविदा आवेदन–पत्र के भाग–2 में है, के किराये से लेने हेतु सील बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जा रही है। कृपया सील बंद लिफाफा के ऊपर निविदा आवेदन–पत्र का टाईटल, निविदा आवेदन–पत्र क्रमांक एवं दिनांक तथा निविदा खोलने की तिथि का उल्लेख करें ताकि निविदा आवेदन–पत्र अयोग्य घोषित न हो पाये।
2. निविदा आवेदन–पत्र जमा करने या इसके संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए विवरण निम्नानुसार है –
   a) निविदा आवेदन पत्र/प्रश्न संबोधित करना है – संचालक
   b) डाक व्यवहार का पता – एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर
   c) संपर्क अधिकारी का नाम एवं पद – श्री पी.आर.साहू,
   d) संपर्क अधिकारी का मोबाईल नं. – 7587499909
   e) ई–मेल पता– scertcg@gmail.com/ फैक्स नं.– 0771–2443496
3. इस निविदा आवेदन पत्र के निम्नानुसार 5 भाग हैं –
   भाग 1 – सामान्य जानकारी।
   भाग 2 – आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण।
   भाग 3 – Standard and Special Conditions.
   भाग 4 – पेनाल्टी एवं भुगतान
   भाग 5 – मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र।
4. यह निविदा आवेदन पत्र बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी किया जा रहा है और क्रेता के पास किसी भी समय निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। क्रेता के पास, यदि किसी समय ऐसा करना आवश्यक हो, निविदा आवेदन पत्र वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित है।

भाग 1 – सामान्य जानकारी

1. **निविदा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :**

26.08.2017, को अपराह्न 2.00 बजे

निविदा दो लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में सील बंद जमा करना होगा।

लिफाफा 'अ' में **Annexure-I** के अनुसार निर्धारित प्रारुप में तकनीकी निविदा, **Annexure-V** के अनुसार Model ECS Mandate Format की जानकारी, कंडिका 7 के अनुसार संस्था के लेटर पैड में विवरण, कंडिका 13 के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र, सुरक्षा निधि (कंडिका 12 में बताए अनुसार) एवं भाग 2 के कंडिका **(xiii)(1)** के अनुसार दस्तावेज रखा जावे। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold letters) में **तकनीकी लिफाफा–'अ'** लिखा जाए।

Joint Director, (Fin.) S.C.E.R.T., RAIPUR.

लिफाफा– 'ब' में **Annexure-II** तथा **Annexure-III** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय निविदा रखा जावे। इस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold Letters) में **वित्तीय लिफाफा– 'ब'** लिखा जावे।

2. निविदा आवेदन पत्र जमा करने की विधि :

सीलबंद निविदा आवेदन पत्र या तो इस हेतु संधारित निविदा बॉक्स में डाला जायेगा या पंजीकृत डाक से उपर्युक्त पते पर इस प्रकार से भेजा जायेगा कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त हो जाये। विलंब से प्राप्त निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में हुए विलंब, समय से डिलिवरी न होने या इस संबंध में किसी भी असुविधा के लिए परिषद् द्वारा जिम्मेदारी नहीं ली जावेगी। फैक्स या ई–मेल से भेजे गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा आवेदन पत्र खोलने का समय एवं तिथि :

अपराह्न 03:00 बजे, दिनांक 26.08.2017

अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र नहीं खोले जाने की स्थिति में यह उस निर्धारित समय पर आगामी कार्यालयीन दिवस में या क्रेता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खोला जायेगा।

4. निविदा बॉक्स का स्थान :

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

गलत निविदा बॉक्स में डाले गए निविदा आवेदन पत्र को अयोग्य मान्य किया जायेगा।

5. निविदा बॉक्स खोलने का स्थान :

सभाकक्ष,राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, बी.टी.आई. परिसर, छत्तीसगढ, शंकर नगर, रायपुर

निविदादाता चाहे तो अपने प्रतिनिधि को लिखित में अधिकृत कर सकता है जो निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र खोलते समय सभाकक्ष में उपस्थित रह सकता है। निविदादाताओं द्वारा भरे गये दर एवं महत्वपूर्ण वाणिज्यिक/तकनीकी कंडिकायें उपस्थित निविदादाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा। किन्तु यह कार्य आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति न होने पर टाला नहीं जायेगा।

6. दो निविदा प्रणाली :

ऊपर वर्णित आवेदन पत्र खोलने के समय एवं तिथि पर केवल लिफाफा 'अ' (तकनीकी निविदा) ही खोला जायेगा। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के बाद क्रेता द्वारा लिफाफा 'ब' (वित्तीय निविदा) खोलने की तिथि एवं समय के संबंध में सूचना

Joint Director, (Fin.)
S.C.E.R.T., RAIPUR.

दी जायेगी। केवल उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदा क्रेता के तकनीकी परीक्षण के दौरान उपयुक्त पायी गयी है।

7. निविदा आवेदन पत्र का अग्रेषण :

निविदादाताओं द्वारा अपने कार्यालयीन लेटर पैड पर TIN/GST Number, Bank Address, EFT Account, कार्यालय के डाक व्यवहार का पता एवं ई–मेल पता इत्यादि आवश्यक विवरण देते हुए निविदा आवेदन पत्र का अग्रेषण किया जायेगा।

8. निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :

निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग के संबंध में शंका होने की स्थिति में निविदादाता निविदा आवेदन पत्र खोले जाने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक लिखित में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

9. जमा किये गये निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :

निविदा आवेदन पत्र के मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में क्रेता चाहे तो संबंधित निविदाकार से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में निविदा की दरों या अन्य किसी Substance में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगा।

10. निविदा आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना :

निविदाकार जिनके पूर्व के कार्यों में दंण्डात्मक कटौती या सेवाओं में कमी पाई गई हो इस निविदा को भरने में अपात्र होंगे।निविदादाता द्वारा सशर्त्त निविदा जमा करने या अपने निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु पक्ष प्रचार (Canvassing) करने या उसमें निविदा उपरान्त सुधार किये जाने के संबंध में अकारण (Unsolicited) पत्र भेजने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुए निविदा आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

11. निविदा दरों की वैधता :

निविदा आवेदन पत्र में भरी गई दरें निविदा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 12 माह के लिए वैध होगी। जिसे आवश्यकतानुसार 6–6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

12. **सुरक्षा निधि (EMD) :** प्रत्येक निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में लिफाफा 'अ' में **रू. 25,000/– (अक्षरी पच्चीस हजार रू. मात्र)** का किसी भी सार्वजनिक बैंक या अनुसूचित बैंक (जैसे ICICI Bank, HDFC Bank एवं Axis Bank) का Account Payee Demand Draft, Banker's Cheque संचालक,एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर के नाम जमा करना होगा। उक्त की वैधता निविदा दरो की वैधता से 45 दिन अधिक (अर्थात साढ़े सात माह) की होगी। असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि निविदा की वैधता समाप्त होने के बाद या इस संबंध में सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो,

Joint Director, (Fin.) S. C. E R. T., RAIPUR

वापस की जाएगी जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि अनुबंध के समय उनसे परफार्मेस गारंटी (Peformance Guarantee) प्राप्त होने के बाद वापस की जाएगी । निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता अवधि में अपने निविदा को वापस लेने या सुधार करने या उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर या सफल निविदादाता के निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करने की स्थिति में यह सुरक्षा निधि की राशि स्वयंमेव जब्त हो जाएगी एवं संबंधित फर्म को पृथक से काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

13. शपथ पत्र :

निविदादाता का केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के विभाग, शासकीय या अर्द्धशासकीय निकायों से किसी भी प्रकार या विधिक विवाद या अन्य विवाद नहीं होने का, काली सूची में अंकित न होने तथा देय राजस्व बकाया न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत करना होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर इसकी सूचना लिखित में सफल निविदाकार को दी जाएगी और उसे कार्यादेश जारी किया जायेगा। इस हेतु अधिकतम पांच दिवस का समय दिया जाएगा। किन्तु निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ही सफल निविदाकार द्वारा कार्य, हेतु आवश्यक तैयारी आरंभ कर दिया जायेगा।

15. निविदा आवेदन पत्र में दर्शायी गयी तिथि अनुमानित है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

16. संबंधित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों के निराकरण हेतु मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सचिव, स्कूल शिक्षा सोल आर्बीट्रिटर होंगे एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय दोनों पक्षों को मानने हेतु बंधनकारी होंगे। इस अनुबंध से उद्भूत होने वाले समस्त विवाद छत्तीसगढ़ न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता के अध्याधीन होंगे।

17. इस कार्य के संबंध में निविदाकार के गोदाम में का सामग्री निरीक्षण एवं सौंपे कार्य की प्रगति की जानकारी लेने हेतु संचालक एस.सी.ई.आर.टी. या उनके द्वारा अधिकृत निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधिकारियों को अधिकार होगा। निविदाकार निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों को निरीक्षण कराने एवं उनकी प्रेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी के पूर्ण संतुष्टि तक उपलब्ध करायेगा।

भाग 2 - आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण

I. आवश्यकताओं की अनुसूची -

(i) आवश्यक् सेवाओं की सूची निम्नानुसार हैं : - किराये पर टेन्ट व अन्य सामग्री दिनांक 31.08.2017 से 07.09.2017 तक अर्थात् 8 दिवस के लिए चाहिए परन्तु उक्त दिवसों में 1 दिवस बढ़ या घट सकता है। सामग्री की संख्या भी घट-बढ़ सकती है।

Joint Director, (Fin.)
S. C. E. R. T., RAIPUR.

a) एल्युमिनियम डोम चारों तरफ से बंद वाटर प्रूफ (32 मीटर x 32 मीटर)

b) इटालियन पगोडा 6 मीटर x 6 मीटर

c) कारपेट रेड/ग्रीन (1) 6 मीटर x 6 मीटर (2) 32 मीटर x 32 मीटर

d) लोहा टेबल - 20 नग

e) कुर्सी फाईबर - 700 नग

f) जनरेटर (ध्वनिहीन) - 125KV एक नग (12 घंटे के डीजल सहित)

g) एल.ई.डी. मेटल लाइट 80 वॉट 50 नग संपूर्ण पाइंट सहित

h) 10 नग बड़े डस्टबिन

i) 3 पिन प्लग पाइंट 50 नग संपूर्ण वायरिंग सहित

j) पीए (माइक) सेट कम्प्लीट, बैटरी सेट - 4 (दो स्पीकर, एक माइक)

k) पेडस्टल फेन - 10 नग

l) L.C.D. प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ -3 नग

m) फर्राटा फेन 14 नग 30 इंच डाया

n) पोटेबल बाथरूम महिला व पुरूष के लिए अलग-अलग सफाई व्यवस्था व पानी की व्यवस्था हेतु 10 ड्रम सहित

(ii) टेंट लगाने का कार्य व अन्य सामग्री प्रदाय करने का कार्य दिनांक 31.08.17 के एक दिवस पूर्व करना होगा।

(iii) निविदाकार को निर्धारित समय में निर्धारित मापदण्ड एवं संख्या के अनुरूप टेंट सामग्री की व्यवस्था करना होगा।
सामग्री समयावधि में प्रदाय न होने की स्थिति में सामग्री यदि क्रेता द्वारा अन्यत्र से किराये से लेना पड़े तो लगने वाली अधिक राशि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणक/परफार्मेंस गांरटी से वसूल की जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार को होगा।

(iv) संपूर्ण स्थल की साफ सफाई प्रतिदिन दिन में दो बार निविदाकार को अनिवार्य रूप से करवाना होगा।

(v) बी.एड./डी.एड. काउंसिलिंग की समाप्ति के अगले दिन संपूर्ण बी.एड./डी.एड. काउंसिलिंग स्थल रिक्त करना होगा तथा उसकी सफाई करानी होगी।

(vi) सफल निविदाकार द्वारा बी.एड./डी.एड. काउंसिलिंग स्थल पर रखी गयी चलित शौचालय की सफाई प्रतिदिन (सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक) लगातार करनी होगी तथा इसे दुर्गंधहीन रखना होगा तथा शौचालय हेतु पानी की व्यवस्था करनी होगी।

Joint Director. (Fin.)
S. C. E. R. T., RAIPUR.

(vii) यदि बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग के दौरान बरसात होती है एवं ग्राउंड में पानी एकत्रित होता है या स्टॉल में एकत्रित होता है तो उसे तुरंत व्यवस्थित करने की जम्मेदारी संबंधित की होगी। इसका पृथक से अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा किन्तु इसे व्यवस्थित करने में अतिरिक्त सामग्री अथवा मटेरियल की आवश्यकता होती है तो उसका नियमानुसार समानुपातिक भुगतान किया जावेगा।

(viii) बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग स्थल पर पीए (माइक), एल.सी.डी. प्रोजेक्टर व स्क्रीन प्रदान करना होगा जो निर्बाध काम करें। यदि संचालन में परेशानी हो तो इनके सुचारू संचालन हेतु बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

(ix) सफल निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि का पूरे समय बी.एड. / डी.एड. कांउसलिंग स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

(x) बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग स्थल पर लगाई गई समस्त प्रकार की सामग्री लाने एवं वापस जाने की समस्त ज़िम्मेदारी एवं परिवहन का भुगतान संबंधित निविदाकार को करना होगा।

(xi) बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग स्थल पर लगाई गई समस्त सामग्री की निगरानी की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। सामग्री के क्षतिग्रस्त होने, कम होने अथवा चोरी होने की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। न ही इसका कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

(xii) बी.एड. / डी.एड. काउंसलिंग के दौरान किसी सामग्री की आकस्मिक आवश्यकता होने पर उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर द्वारा इसका अतिरिक्त कार्य मानते हुये उचित एवं नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

(xiii) एल्युमिनियम डोम कीं गुणवत्ता उत्तम हो, यहां गुणवत्ता का आशय यह है कि टेंट सामग्री कटे–फटे न हो, साफ हो तथा वर्षा होने पर एक बूंद पानी भी टेंट के अंदर न आएं। उक्त सामग्री की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्य निविदाकार का होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि एक भी टेंट सामग्री जो निर्धारित गुणवत्ता का न हो, वह कार्य हेतु निर्धारित स्थल पर न लाया जाये और वर्षा या तेज हवा में किसी भी प्रकार से न हिले और क्रेता या निविदाकार किसी प्रतिनिधि या अन्य किसी व्यक्ति के जान–माल का खतरा न हो।

(xiv) विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

(xv) **<u>तकनीकी विवरण</u>** :–

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाए –

I. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

II. टेंट कार्य से संबंधित शासकीय कार्यक्रमों का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।

III. निविदा के साथ टेंट सामग्री (किराये से) से संबंधित पूर्व में किये गये कार्यो के फोटोग्राफ आदि या अन्य जानकारी वाले दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

IV. निविदा के साथ फर्म का 1 करोड़ सालाना का टर्नओवर का CA का प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षो का देना होगा।

V. संबंधित कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जीवित वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

II सेवाएँ लेने वाले का विवरण :–

a) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ,शंकरनगर,रायपुर

Part III – Standard and Special Conditions

The Bidder is required to give confirmation of their acceptance of these conditions of the Tender Application Form mentioned below which will automatically be considered as part of the Contract concluded with the successful Bidder (i.e. Seller in the Contract) as selected by the Buyer. Failure to do so may result in rejection of the Bid submitted by the Bidder.

1. **Law**: The Contract shall be considered and made in accordance with the laws of the Republic of India. The contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of India.

2. **Effective Date of the Contract**: Normally the contract shall come into effect on the date of signatures of both the parties on the contract except when some other effective date is mutually agreed to and specifically indicated / provided in the contract. The deliveries and supplies and performance of the services shall commence from the effective date of the contract.

3. **Arbitration**: All disputes or differences arising out of or in connection with the Contract shall be settled by bilateral discussions. Any dispute, disagreement or question arising out of or relating to the Contract or relating to construction or performance, which cannot be settled amicably, may be resolved through

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

arbitration. Please also refer to para 16 of Part-I of the tender application form in this regard.

4. **Penalty for use of Undue influence**: The Seller undertakes that he has not given, offered or promised to give, directly or indirectly, any gift, consideration, reward, commission, fees, brokerage or inducement to any person in service of the Buyer or otherwise in procuring the Contracts or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the present Contract or any other Contract with the SCERT, Chhattisgarh or any organization of Government of Chhattisgarh for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the present Contract or any other Contract with the SCERT, Chhattisgarh or any organization of Government of Chhattisgarh. Any breach of the aforesaid undertaking by the Seller or anyone employed by him or acting on his behalf (whether with or without the knowledge of the Seller) or the commission of any offers by the Seller or anyone employed by him or acting on his behalf, as defined in Chapter IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Prevention of Corruption Act, 1986 or any other Act enacted for the prevention of corruption shall entitle the Buyer to cancel the contract and all or any other contracts with the Seller and recover from the Seller the amount of any loss arising from such cancellation. A decision of the Buyer or his nominee to the effect that a breach of the undertaking had been committed shall be final and binding on the Seller. Giving or offering of any gift, bribe or inducement or any attempt at any such act on behalf of the Seller towards any officer/employee of the Buyer or to any other person in a position to influence any officer/employee of the Buyer for showing any favour in relation to this or any other contract, shall render the Seller to such liability/ penalty as the Buyer may deem proper, including but not limited to termination of the contract, imposition of penal damages, forfeiture of the Bank Guarantee and refund of the amounts paid by the Buyer.

5. **Agents / Agency Commission**: The Seller confirms and declares to the Buyer that the Seller is the original provider of the services referred to in this Contract and

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

has not engaged any individual or firm, to intercede, facilitate or in any way to recommend to the Government of Chhattisgarh or any of its functionaries, whether officially or unofficially, to the award of the contract to the Seller; nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual or firm in respect of any such intercession, facilitation or recommendation. The Seller agrees that if it is established at any time to the satisfaction of the Buyer that the present declaration is in any way incorrect or if at a later stage it is discovered by the Buyer that the Seller has engaged any such individual/firm, and paid or intended to pay any amount, gift, reward, fees, commission or consideration to such person, party, firm or institution, whether before or after the signing of this contract, the Seller will be liable to refund that amount to the Buyer. The Seller will also be debarred from entering into any supply Contract with the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years. The Buyer will also have a right to consider cancellation of the Contract either wholly or in part, without any entitlement or compensation to the Seller who shall in such an event be liable to refund all payments made by the Buyer in terms of the Contract along with interest at the rate of 2% per annum above LIBOR rate. The Buyer will also have the right to recover any such amount from any contracts concluded earlier with the Government of Chhattisgarh.

6. **Access to Books of Accounts**: In case it is found to the satisfaction of the Buyer that the Seller has engaged an Agent or paid commission or influenced any person to obtain the contract as described in clauses relating to Agents/Agency Commission and penalty for use of undue influence, the Seller, on a specific request of the Buyer, shall provide necessary information/ inspection of the relevant financial documents/ information.

7. **Non-disclosure of Contract documents**: Except with the written consent of the Buyer/ Seller, other party shall not disclose the contract or any provision, specification, plan, design, pattern, sample or information thereof to any third party.

Joint Director, (Fin.)
S.C.E.R.T., RAIPUR.

8. **Liquidated Damages**: In the event of the Seller's failure to submit the Bonds, Guarantees and Documents, supply the goods and conduct installation, etc as specified in this contract, the Buyer may, at his discretion, withhold any payment until the completion of the contract. The BUYER may also deduct from the SELLER as agreed, liquidated damages to the sum of 0.5% th contact price of the delayed undelivered goods/services mentioned above for everyday of delay.
9. **Notices**: Any notice required or permitted by the contract shall be written in the Hindi/English language and may be delivered personally or may be sent by FAX or registered pre-paid mail/airmail, addressed to the last known address of the party to whom it is sent.
10. **Transfer and Sub-letting**: The Seller has no right to give, bargain, sell, assign or sublet or otherwise dispose of the Contract or any part thereof, as well as to give or to let a third party take benefit or advantage of the present Contract or any part thereof.
11. **Amendments**: No provision of present Contract shall be changed or modified in any way (including this provision) either in whole or in part except by an instrument in writing made after the date of this Contract and signed on behalf of both the parties and which expressly states to amend the present Contract.
12. **Performance Guarantee**: The Bidder will be required to furnish a Performance Guarantee by way of Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque through a public sector bank or a private sector bank authorized to conduct government business (ICICI Bank Ltd., Axis Bank Ltd or HDFC Bank Ltd.) for a sum equal to 10% of the contract value within 5 days of receipt of the confirmed order. Performance Bank Guarantee should be valid up to six months beyond the date of confirmed order within thirty days of and will be retured successful completion of the work.

    The specimen of PBG is given in **Annexure IV**
13. **Payment Terms:** It will be mandatory for the Bidders to indicate their bank account numbers and other relevant epayment details so that payments could be made through ECS/EFT mechanism instead of payment through cheques,

Joint Director, (Fin.)
S.C.E.R.T., RAIPUR.

wherever feasible. A copy of the model mandate form prescribed by RBI to be submitted by Bidders for receiving payments through ECS is at **Annexure V**. The payment will be made as explained in Part IV of the Tender Application Form.

भाग 4 - पेनाल्टी एवं भुगतान

इस निविदा आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर निम्नानुसार पेनाल्टी अधिरोपित किया जावेगा जिसकी पूर्ति संस्था के देयक या उनके द्वारा जमा Performence Guarantee या लंबित भुगतान या दोनों से किया जा सकेगा।

1. सेवाओं में विलम्ब होने पर संबंधित मद में भुगतान योग्य राशि का 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से निविदाकार के प्रमाणक अथवा Performence Guarantee से कटौती की जायेगी।
2. निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित कार्यों/सेवाओं में निम्न स्तर/ गुणवत्ताहीन सामग्री/सेवाओं में त्रुटी प्रमाणित होने पर पेनाल्टी के रूप में संबंधित मद में भुगतान योग्य राशि से 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से Performence Guarantee अथवा निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणक से कटौती किए जाने का अधिकार संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छ.ग.रायपुर को होगा।
3. शौचालय में पानी की व्यवस्था, सफाई एवं दुर्गंध की शिकायत पाये जाने पर प्रतिदिन रु. 1000 की कटौती की जायेगी।
4. काउंसिलिंग की समाप्ति के उपरान्त अगले दिवस सम्पूर्ण बी.एड./डी.एड. काउंसिलिंग स्थल रिक्त नहीं करने पर प्रतिदिवस 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर (टेंट के राशि से) से पेनाल्टी देय होगी।
5. टेन्ट क्षेत्र में यदि बरसात या अन्य कारण से पानी एकत्रित होता है तथा कोई अन्य अव्यवस्था आती है तो उसे तुरंत व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी संबंधित की होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिवस 0.5 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी देय होगी।
6. पी.ए.(माइक) सिस्टम, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर व स्क्रीन के संचालन में कोई परेशानी होती है तथा इसके संचालन के लिए आपके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति काउंसिलिंग स्थल में उपलब्ध नहीं होता तो जितने समय तक पी.ए.(माइक) सिस्टम व एल.सी.डी. प्रोजेक्टर कार्य नहीं करता प्रतिघंटा रु.100/- की दर से पेनाल्टी देय होगी।
7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

भुगतान :-

1. सामग्री के गुणवत्ता एवं सेवाओं संबंधी कोई शिकायत न पाए जाने पर तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् देयक प्राप्त होने की तिथि से15 दिवस के अंदर भुगतान कर दिया जावेगा।

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

भाग 5 – मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. **मूल्यांकन का मानदण्ड –**

निविदाओं के मूल्यांकन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार है –

a) केवल उसी निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा जो निविदा आवेदन पत्र के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय दोनो अर्हताएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

b) निविदाकार द्वारा जमा की गयी तकनीकी निविदा का मूल्यांकन निविदा आवेदन पत्र में वर्णित तकनीकी आवश्यकता के संदर्भ में किया जायेगा। तकनीकी निविदा से यह स्पष्ट होने पर कि निविदादाता निविदा आवेदन पत्र में वर्णित आवश्यकता की पूर्ति करने सक्षम है, ऐसे निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

c) निविदाकार द्वारा प्रपत्र **Annexure-II** में भरी गई दरों के आधार पर न्यूनतम निविदा के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। न्यूनतम दरों की गणना करते समय यह माना जायेगा की निविदादाता द्वारा समस्त करों, उपकरों एवं ड्यूटी को जोड़कर अपनी दरे दी गई है। क्रेता द्वारा कुल भुगतान की जाने वाली राशि के आधार पर प्राप्त वित्तीय निविदाओं की क्रम सूची बनाई जायेगी।

d) जहाँ भी इकाई दर से कुल दरों की गणना में भिन्नता पायी जायेगी, इकाई दर में कुल संख्या से गुणा कर कुल दरों में सुधार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा शब्दों एवं अंको मे दी गई जानकारियों में भिन्नता है तो शब्दों में दी गई जानकारी को मान्य किया जायेगा।

e) न्यूनतम स्वीकार निविदा को अनुबंध/कार्यदिश जारी करने के लिए आवश्यकतानुसार क्रेता द्वारा स्पष्टीकरण एवं निगोसियेशन के बाद विचार किया जायेगा।

f) कोई अतिरिक्त तरीका जो किसी खास स्थिति में उपयुक्त हो, के अनुसार क्रेता निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

Joint Director, (Fin.)
S. C. E. R. T. RAIPUR.

Annexure-I

पंजीयन क्रमांक ....

क्र./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एड.कांउसलिंग/2017–18/4088 रायपुर, दिनांक 09.08.2017

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर

बी.एड.–डी.एल.एड.कांउसलिंग 31.08.2017 से 07.09.2017 तक (8दिवस)

टेंट सामग्री (किराये से) हेतु निविदा तकनीकी बोली

(निविदाकार द्वारा भरा जावे)

1. निविदाकार का नाम एवं फर्म की रबर सील...
2. पूर्ण पता...
   ....
3. दूरभाष क्रमांक/मो. .... फैक्स कमांक.............................. ई. मेल.......................
4. निविदाकार के फर्म का मालिक/साझेदार/संचालक का विवरण संबंधी प्रमाण।
5. स्थाई लेखा संख्या (PAN.)..
6. सर्विस टेक्स नं. ....
7. GST नंबर ....
8. राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट क्र.दि./राशि..
9. नगर निगम/पालिका में रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक ....
10. शासकीय कार्यक्रमों के अनुभव प्रमाण पत्र (कुल वर्ष) ....
11. सालाना टर्न ओवर का सी.ए.का प्रमाण पत्र(तीन वर्षो का) ....
12. विगत तीन वर्षो का इनकम टैक्स फाइल का प्रमाण पत्र ....
13. निविदाकार के फर्म के स्वामी/साझेदार/संचालक का विवरण :–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	विवरण (स्वामी/साझेदार/संचालक)

घोषणा–पत्र

1. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि संचालक एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर द्वारा टेंट सामग्री (किराये से) हेतु जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/एस.सी.ई.आर.टी./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एड. काउंसलिंग/2017–18/4088 रायपुर,दिनांक 09.08.2017 के नियम एवं शर्तो का मैंने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
2. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरी फर्म को राज्य सरकार या उनके केन्द्र सरकार या अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा टेंट सामग्री (किराये से) के संबंध में काली सूचीबद्ध या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
3. मैं/हम यह भी प्रमाणित कि मैं/हम निविदा फर्म की ओर से यह घोषणा पत्र हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम...

पूर्ण पता...

फोन नंबर...

फर्म की रबर सील...

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

Annexure-II

पंजीयन क्रमांक ....

क्र./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एल.एड.कांउसलिंग/2017–18/4088 रायपुर,दिनांक 09.8.2017

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर

बी.एड.–डी.एल.एड.कांउसलिंग 31.08.2017 से 07.09.2017 तक (8दिवस)

टेंट सामग्री (किराये से) हेतु निविदा

वित्तीय बोली

(निविदाकार द्वारा भरा जावे)

सामग्री का विवरण :–

क.	निविदा के भाग 2 के I (i) में वर्णित सामग्रियों की एकमुश्त दर	
	अंकों में	शब्दों में

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

पूर्ण पता..

फोन नंबर..

फर्म की रबर सील..

Joint Director, (Fin.)
S. C. E R. T., RAIPUR.

Annexure-III

पंजीयन क्रमांक ....

क्र./स्टोर/निविदा/बी.एड.–डी.एल.एड.कांउसलिंग/2017–18/4088 रायपुर,दिनांक 09.8.2017

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर

बी.एड.–डी.एल.एड.कांउसलिंग 31.08.2017 से 07.09.2017 तक (8दिवस)

टेंट सामग्री (किराये से) हेतु निविदा

वित्तीय बोली

(निविदाकार द्वारा भरा जावे)

सामग्री का विवरण :–

क.	सामग्री का नाम	भाग 2 के I (i) में वर्णित की प्रतिदिन सामग्रियों दर	
		अंकों में	शब्दों में
1	एल्युमिनियम डोम चारों तरफ से बंद वाटर प्रूफ (32 मीटर x 32 मीटर)		
2	इटालियन पगोडा (6 मीटर x 6 मीटर)		
3	कारपेट रेड/ग्रीन – (1) 6 मीटर x 6 मीटर (2) 32 मीटर x 32 मीटर		
4	लोहा टेबल 20 नग		
5	कुर्सी फाईबर – 700 नग		
6	जनरेटर (ध्वनिहीन) – 125KV एक नग (12 घंटे के डीजल सहित)		
7	एल.ई.डी. मेटल लाइट 80 वॉट 50 नग संपूर्ण पाइंट सहित		
8	10 नग बड़े डस्टबिन		
9	3 पिन प्लग पाइंट 50 नग संपूर्ण वायरिंग सहित		
10	पीए (माइक) सेट कम्प्लीट, बैटरी सेट 4 (दो स्पीकर, एक माइक)		
11	पेडस्टल फेन – 10 नग		
12	L.C.D. प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ 3 नग		
13	फर्राटा फेन 14 नग 30 इंच डाया		
14	पोटेबल बाथरूम सफाई व्यवस्था व पानी की व्यवस्था हेतु 10 ड्रम सहित)		

कुल राशि (अंकों में एवं शब्दों में) राशि रुपयों में

Joint Director, (Fin.)
S. C. E. R. T., RAIPUR.

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

पूर्ण पता..

फोन नंबर..

फर्म की रबर सील..

Annexure - IV

Performance Bank Guarantee Format

From:

Bank _______________

To,

The Director,

SCERT, Chhattisgarh,

BTI Campus, Shankarnagar, Raipur

Dear Sir,

Whereas you have entered into a contract No._______ dated_________ (hereinafter referred to as the said Contract) with M/s___________________________, hereinafter referred to as the "seller" for supply of goods as per Part-II of the said contract to the said seller and whereas the Seller has undertaken to produce a bank guarantee for *(10 %)* of total Contract value amounting to _________ to secure its obligations to Director SCERT, Chhattisgarh. We the _______________ bank hereby expressly, irrevocably and unreservedly undertake and guarantee as principal obligors on behalf of the seller that, in the event that the Director SCERT, Chhattisgarh declares to us that the goods have not been supplied according to the Contractual obligations under the aforementioned contract, we will pay you, on demand and without demur, all and any sum up to a maximum of ____________Rupees _____________ only. Your written demand shall be conclusive evidence to us that such repayment is due under the terms of the said contract. We undertake to effect payment upon receipt of such written demand.

2. We shall not be discharged or released from this undertaking and guarantee by any arrangements, variations made between you and the Seller, indulgence to the Seller by you, or by any alterations in the obligations of the Seller or by any forbearance whether as to payment, time performance or otherwise.

3. In no case shall the amount of this guarantee be increased.

4. This guarantee shall remain valid for twelve months from the date of issue of confirmed order to the Seller according to the contractual obligations under the said contract.

6. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing or on before the aforesaid expiry date as provided in the above referred contract or unless this guarantee is extended by us, all your rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be discharged from the liabilities hereunder.

7. This guarantee shall be a continuing guarantee and shall not be discharged by and change in the constitution of the Bank or in the constitution of M/s____________________________

Joint Director, (Fin.)
S. C. E. R. T., RAIPUR.

Annexure -V

Model ECS Mandate Format

Customer's option to receive payments through e-Payment (ECS/ EFT/ DIRECT / RTGS/ NEFT/ Other payment mechanism as approved by RBI.)

Credit Clearing Mechanism

1. Customer's name
2. Particulars of Bank Account –
   a) Bank name
   b) Branch name
   c) Address
   d) Telephone numbers
   e) IFS code
   f) 9 Digit code number of Bank and Branch appearing on MICR cheque issued by Bank
   g) Account Type (S.B. Account / Current Account or Cash)
   h) Ledger number
   i) Ledger Folio number
   j) Account number as appearing on Cheque Book
3. Please attach a blank cancelled cheque, or, photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars.
4. Date of Effect

"I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I have read the option invitation letter and agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under scheme."

(.....................................)

Date:

Signature of Customer Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Bank's Stamp:

(.....................................)

Date:

Signature of the Authorized Official from the Bank

Joint Director, (Fin.)
S.C.E R.T., RAIPUR.